



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 पौष 1941 (श10)

(सं० पटना 1371) पटना, मंगलवार, 31 दिसम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

31 दिसम्बर 2019

अधिसूचना संख्या 27/2019 - राज्य कर (दर)

एस०ओ० 412, दिनांक 31 दिसम्बर 2019--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 544, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची II - 6% में,-

- (i) क्रम संख्या 80 क क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 171क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ख. अनुसूची III - 9% में, क्रम संख्या 163क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)
"163ख	3923 या 6305	पॉलिइथीलीन या पॉलिप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स और इसी प्रकार के पदार्थों से बने व्युत्तित और अव्युत्तित बैग्स और सैक्स, चाहे ये लेमिनेटेड हों या नहीं, जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो;
163ग	6305 32 00	फ्लैक्सिबिल इंटरमीजिएट बल्क कंटेनर्स।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)-27)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

31 दिसम्बर 2019

एस० ओ० 412, दिनांक 31 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-7)-27)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 31st December 2019

Notification No. 27/2019- State Tax (Rate)

S.O. 412, dated the 31st December 2019--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 544, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

A. in Schedule II - 6%, -

(i) S. No. 80AA and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) S. No. 171A and the entries relating thereto shall be omitted;

B. in Schedule III - 9%, after S. No. 163A and entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted namely: -

“163B	3923 or 6305	Woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods;
163C	6305 32 00	Flexible intermediate bulk containers”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2020.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-7) 27)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1371-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>